अपील सूचना अधिकार संख्या 16/2019 (RCMS 2019/00061) श्री रमेश कुमार पुत्र गोपाल दास निवासी वार्ड संख्या 22, नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 87641-25960) बनाम उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019,

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रमेश कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रांवली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के समक्ष दिनांक 05.11.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष दिनांक 05.11.2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1 मण्डी घड़साना में खोखा रेहड़ी प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से चाहे गए मार्गदर्शन की रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

2. प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार के तहत चाही गई सूचना दिनांक 05.11.2018 की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जावे।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी,घड़साना ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/2173 दिनांक 08.07.19 से अपील का जवाब निम्नानुसर दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है क प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रार्थी द्वारा मण्डी विकास समिति की बैठक 20.09.2016 में राज्स सरकार चाहे गये मार्गदर्शन की प्रति चाही गई थी। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जिला कार्यालय से प्राप्त क्रमांक 10414 दिनांक 15.11.18 की पालना में श्रीमानजी एवं प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2839 व 2849 दिनांक 30.11.18 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि राज्य सरकार में कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र की फोटो प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलगन है।

रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा मे प्रेषित कर निवेदन है कि इस कार्यालय स्तर पर कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। प्रार्थी की अपील इसी स्तर पर निरस्त करने की कृपा करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2018 से उपखण्ड अधिकारी,घड़साना से 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी परन्तु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध करवाई है एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई हैं। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को आदेशित किया जाता हे कि वे अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 02 की सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवायें। इसलिए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर